न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 262/2020
अनवान : –

1. सन्तोष पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय — दिनांकः 17/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 126/79 के ख0न0 206 की 6.5260 हैक्ट ख0न0 207 की 3.4650 हैक्ट खन0 236 की 5.5140 हैक्ट ख0न0 265 की 9.3710 हैक्ट ख0न0 278 की 3.1240 हैक्ट कुल तादादी 28. 000 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें वादिया सयुक्त तौर से 400 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है।

वादिया की शादी शैलेन्द्र कुमार से हुई थी तथा शैलेन्द्र कुमार की मृत्यु वादिया की शादी के छः माह बाद हो गई थी तथा वादिया की पति की मृत्यु होने के उपरान्त उसके ससुराल वालो ने वादिया का करेबा उसके देवर शिशपाल से करवा दिया एवं वादिया की सामाजिक रिति रिवाजो से शिशपाल से शादी हो चुकी है तथा वादिया अपने पति शिशपाल के साथ रहती है तथा समस्त सामाजिक दायित्वो को निर्वहन करती आ रही है। उक्त वाद भूमि में वादिया के पति का नाम शैलेन्द्र कुमार दर्ज है जबकि वादिया के पति का नाम शिशपाल समस्त दस्तावेजो में दर्ज है तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, परियच पत्र, में पति का नाम शिशपाल है एवं वादिया के पति का नाम शैलेन्द्र कुमार दर्ज रहने से वादिया को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान योजना एवं अनेको सुविधाओं से वंचित हो जाती है। इसलिए वादिया अपने पति का नाम शेलेन्द्र कुमार की जगह शिशपाल दर्ज करवापाने की अधिकारिणी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की मुताबिक दस्तावेजात वादीया के पति का नाम दुरूस्त कर देवे तो प्रतिवादी स0 1 [illegible] टाल मटोल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को [illegible] सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:56:50 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि वादिया की शादी शैलेन्द्र कुमार से हुई थी तथा शैलेन्द्र कुमार की मृत्यु वादिया की शादी के छः माह बाद हो गई थी तथा वादिया की पति की मृत्यु होने के उपरान्त उसके ससुराल वालो ने वादिया का करेबा उसके देवर शिशपाल से करवा दिया एवं वादिया की सामाजिक रिति रिवाजो से शिशपाल से शादी हो चुकी है तथा वादिया अपने पति शिशपाल के साथ रहती है तथा समस्त सामाजिक दायित्वो को निर्वहन करती आ रही है। उक्त वाद भूमि में वादिया के पति का नाम शैलेन्द्र कुमार दर्ज है जबकि वादिया के पति का नाम शिशपाल समस्त दस्तावेजो में दर्ज है तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, परियच पत्र, में पति का नाम शिशपाल है एवं वादिया के पति का नाम शैलेन्द्र कुमार दर्ज रहने से वादिया को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान योजना एवं अनेको सुविधाओं से वंचित हो जाती है। इसलिए वादिया अपने पति का नाम शेलेन्द्र कुमार की जगह शिशपाल दर्ज करने के आदेश फरमावे। वाद वादीया डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता सं. 126/79 के ख0न0 206 की 6.5260 हैक्ट ख0न0 207 की 3.4650 हैक्ट खन0 236 की 5.5140 हैक्ट ख0न0 265 की 9.3710 हैक्ट ख0न0 278 की 3.1240 हैक्ट कुल तादादी 28. 000 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें वादिया सयुक्त तौर से 400 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम सन्तोष पत्नी शेलेन्द्र कुमार दर्ज है एवं वादीया द्वारा सन्तोष पत्नी शेलेन्द्र कुमार के स्थान पर सन्तोष पत्नी शिशपाल दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादीया द्वारा कथन किया गया है कि वादी के पति शैलेन्द्र कुमार के देहान्त की बाद वादीया का करेवा उसके देवर शिशपाल से किया गया लेकिन वादीया द्वारा शैलेन्द्र कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की शैलेन्द्र कुमार का देहान्त हो चुका है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के अभाव में वाद वादीया स्वीकार योग्य नही है।

अतः वादीया द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादीया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:56:50 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 262/2020

अनवान : –

1. सन्तोष पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 262 सन 2020 निर्णय दिनांक 17/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी वाद वादी खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:56:50 IST
Reason: SelfAttested